

कार्यालय ब्रह्मपुर अभियन्ता  
(आय-व्यय अनुभाग)  
सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।

संख्या: जी-309/आई0बी0/108बी0-224/अनु0-94/पूँजीलेखा लखनऊ दिनांक जून 21, 2018  
कार्यालय ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्यय में अनुदान संख्या 94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूँजी लेखा के अन्तर्गत शासनादेश सं0-78/2018/1633/18-संताईस-सिं0-9-81नवन/16, दिनांक 13-06-2018 द्वारा 'जनपद आजमगढ़ के खण्डीय कार्यालय भवन के निर्माण की परियोजना' हेतु बजट प्राविधानित धनराशि रु0 145.25 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत हुई है।

उक्त प्राप्त वित्तीय स्वीकृति के क्रम में मुख्य अभियन्ता (गण्डक) गोरखपुर को उनके सम्मुख अंकित धनराशि व्यय किये जाने हेतु एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है:- (आकडे लाख रुपये में)

लेखाशीर्षक/उपशीर्षक/मद	मुख्य अभियन्ता का नाम	प्रदिति धनराशि
अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) 4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 36-गण्डक नहर प्रणाली की क्षमता पुनर्स्थापना की परियोजना (वाणिज्यिक) 051-निर्माण 11-शाखायें 1108-लाइनिंग 24-वृहत्त निर्माण कार्य	( गण्डक ) गोरखपुर।	145.25

रुपया एक करोड़ पैंतालीस लाख पच्चीस हजार मात्र

उपरोक्त धनराशि का आवंटन समय-समय पर जारी कार्यालय ज्ञापों एवं उपरोक्त शासनादेश में क्रमांक-1 से 13 तक दिये नियमों/शर्तों के अधीन किया जाता है।

भूपेन्द्र शर्मा  
प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग।

संख्या: जी-309/(1)/आई0बी0/तददिनांक:- 21/06/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-प्रथम/द्वितीय), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 4- प्रमुख अभियन्ता (परियोजना) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- मुख्य अभियन्ता (पूर्व) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर को शासनादेश की प्रति सहित।
- 6- मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 7- मुख्य अभियन्ता (अनुश्रवण)/सूचना प्रणाली संगठन) सिं0 वि0, उ0प्र0, लखनऊ।
- 8- मुख्य अभियन्ता (गण्डक) सिंचाई विभाग, उ0प्र0, गोरखपुर को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
- 9- वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
- 10- अधिशासी अभियन्ता (बजट) सिंचाई विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
- 11- प्रशासनिक अधिकारी (बजट) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 12- कट फाईल।

(हेमन्त कुमार गुप्ता)  
मुख्य अभियन्ता (बजट)

उक्त प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग।

21/06/2018